



संख्या—cm-28
10/01/2020

मुख्यमंत्री ने मुँगेर में जल-जीवन-हरियाली से संबंधित प्रमण्डलस्तरीय समीक्षा बैठक की

पटना, 10 जनवरी 2020 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुँगेर संग्रहालय सभागार में प्रमण्डलस्तरीय समीक्षा बैठक के अंतर्गत मुँगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिले की जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में सार्वजनिक कुंओं, चापाकल, आहर, पर्ईन का जीर्णोद्धार, नलकूपों, कुंओं एवं चापाकल के किनारे सोखता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी-छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियाँ, राज्य में बची सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जर्जर तारों का बदलाव, पावर सब स्टेशन के निर्माण से संबंधित जानकारी भी दी गई। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उसके संबंध में भी अपनी बातें रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुँगेर जिले में खड़गपुर झील के सौंदर्यीकरण के लिए काम करें। यह ईको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित हो, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम को भेजकर कार्य योजना बना लें। यहां के पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस झील को विकसित करने से यह पर्यावरण के लिए तो फायदेमंद है ही इससे नई पीढ़ी को भी लाभ होगा। इस कार्य को जल-जीवन-हरियाली अभियान में शामिल करें। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना तेजी से पूर्ण हो, इसके लिए सार्वजनिक स्थल का जल्द से जल्द चयन कर बोरिंग करवायी जाए। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत लोगों को अपनी शिकायतों के निवारण का अधिकार दिया गया है। जो भी अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं या इस कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ संबंधित जिलाधिकारी, विभागों के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग कार्रवाई करे। लोक सेवा केंद्र पर जिलाधिकारी विजिट करें और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदनों का निपटारा तेजी से करवाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जुलाई 2019 को विभिन्न दलों के विधायकों एवं विधान पार्षदों की संयुक्त बैठक में जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। आप सबों से अनुरोध है कि 19 जनवरी 2020 को जल-जीवन-हरियाली अभियान के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल हों। उन्होंने कहा कि लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विकास के काम किए गए हैं और होते रहेंगे लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सब मिलकर काम करें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, सूचना एवं जन-संपर्क मंत्री श्री नीरज कुमार, सांसद श्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह सहित विधायकगण, विधान पार्षदगण अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय, संबंधित विभागों के एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुंगेर प्रमंडल की आयुक्त श्रीमती वंदना किनी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद स्व० रामलखन प्रसाद गुप्त की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया।
